98

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 423–दो/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–1–2009 – पारित – व्दारा – सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण कमांक 1614–दो/2007

श्रीमती जग्गी देवी पत्नि शीतल सिंह कुशवाह
ग्राम मटधना हाल निवासी अटेर रोड, भिण्ड -- आवेदक

विरुद्ध

1– श्रीमती संतोष पत्नि सुरेन्द्र सिंह कुशवाह
2– राजेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह कुशवाह
दोनों निवासी अटेर रोड फूफ तहसील व जिला भिण्ड --अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 16– 8 – 2016 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1614–दो/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी 2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम फूफ स्थित भूमि सर्वे नंबर 119 रकबा 0.314 हैक्टर में से 0.011 हैक्टर (20X60 वर्गफुट) का भूखंड तथा उस पर निर्मित भवन बेटीवाई पत्नि स्व0केशव सिंह के नाम था। भवनस्वामी की मृत्यु उपरांत बसीयत के आधार पर तहसीलदार भिण्ड ने प्र0क0 12/अ–6/ 05–06 में

पारित आदेश दिनांक 31-3-06 से बेटीवाई का नामांत्रण स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 13/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-07 से अपील अवधि-वाह्य होने के आधार पर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील कमांक 175/06-07 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5-9-07 से प्रकरण तहसीलदार भिण्ड को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 1614-दो/2007 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-1-09 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने मान0प्रथम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड के प्रकरण कमांक 45/2012 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर पुनरावलोकन प्रकरण के निराकरण की प्रार्थना की।

4/ मान0प्रथम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड के प्रकरण कमांक 45/2012 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2013 का है जबकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने अपील कमांक 175/06-07 में पारित आदेश दिनांक 5-9-07 से प्रकरण तहसीलदार भिण्ड को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है

जहाँ पर तहसीलदार व्दारा संभव है कि प्रकरण में सुनवाई की जा रही हो अथवा प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में मान0प्रथम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड के प्रकरण कमांक 45/2012 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2013 पर से पुनरावलोकन प्रकरण में किसी प्रकार के निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। आवेदक मान0प्रथम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड के प्रकरण कमांक 45/2012 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है। परिणामतः तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा निगरानी कमांक 1614-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 28-1-09 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा अपील कमांक 175/06-07 में पारित आदेश दिनांक 5-9-07 यथावत् रहते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर